केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
11 NOV 2024
D. No.
Initials.

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/24/00116
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00357
अपीलकर्ता श्री चरण सिंह
[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.06.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	27.08.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	19.09.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	कर्नल एस.एस. चिकारा, CPIO (DR to IC AR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.10.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	18.10.2024
निर्णय की तारीख	08.11.2024

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 22.06.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

निवेदन यह है कि द्वितीय अपील सं CIC/CBIND/A/2023/161064, चरन सिंह बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आगरा (उ०प्र०) आदेश द्वितीय अपील दिनांक 23.04.2024 से संबंधित आदेश दिनांक 23.04.2024 से संबंधित बिंदुओं की सूचनाएं प्रमाणित प्रतियों में चाहता हूँ। जो निम्न बिंदु है:-

"1.) द्वितीय अपील दिनांक 28.12.2022 की छायापति उपलब्ध कराये।

2.) संग्लन आदेश बिंदु सं 3 में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश दिनांक .05.08.2022 अनुपालन में सी.पी.आई.ओ. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया आगरा जवाबी पत्र जवाबी पत्र दिनांक 26.08.2022 आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2024 के बिंदु सं में दिनांक 22.05.2022 को

शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। उसकी छायाप्रति उपलब्ध कराये, तथा दिनांक 07.06.2021 को एक संतुष्टि पत्र प्रार्थी को प्रदान किया गया है उसकी छायाप्रति उपलब्ध कराये।"

2. प्रदान की गई सूचना

कर्नल एस.एस. चिकारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 19.09.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"The said documents have been forwarded to you directly by the concerned branch. You need to approach the concerned bank. The said letters are not attached in E-book."

3. प्रथम अपील का आधार

"प्रार्थी को दिनांक 28.09.2024 भारतीय डाक रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त No. CICOM/R/P/24/00357 दिनांक 19.09.2024 के माध्यम से उत्तर प्राप्त हुआ है वह जानबूझकर, भ्रमित, गलत, आवेदन पत्र से हटकर अंग्रेजी भाषा में दिया गया है। और प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचनाएं उच्च न्यायलय मद्रास बनाम केंद्रीय सूचना आयोग रिट याचिका 26781/2013 दिनांक 17.09.2024 से संदर्भित नहीं है।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00357 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 08.11.2024

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।